हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम– दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका,दुर्ग (छ.ग.). 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेबसाइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

क्र./ 3853 /अका./2021 दुर्ग, दिनांक 29 /07/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विषय :– प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत एवं अकादमिक कैलेण्डर (शैक्षणिक सत्र 2021–22) के संबंध में।

संदर्भ :–(01) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1684/214/आउशि/सम./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 14/07/2021

(02) कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 1722/213/आउशि/सम./2021, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/07/2021

– – – 00 – – –

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त एवं अकादमिक कैलेण्डर प्राप्त हुआ है, जो मूलतः संलग्न है।

उक्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त मे दिए गए प्रावधानों एवं अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करते हुए पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र./ 3854 /अका./2021 दिनांक 29/07/2021

प्रतिलिपिः–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलपति महोदय के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

No.: L-201----22---- 1145
AD (K) /JD/ /DD
Section समन्वय
Date 6 JUL 2021 C.H.E.

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– **आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.2021**

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

समन्वय
08/07/2021

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2021–22

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

दशिप्रा

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2021–22

1. **प्रयुक्ति :–**

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम--1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. **प्रवेश की तिथि :–**

2.1 **प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–**

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ''ऑनलाईन'' फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ''ऑफलाईन'' आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगें।

2.2 **प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र–पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक ''क'' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ''ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक **''ख''** ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 **पुनर्मूल्यांकन / *पुनर्गणना* में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :–**

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. **प्रवेश संख्या का निर्धारण :–**

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा ''उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।''

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष *एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी.* की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :–

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में ***15 सितम्बर*** के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण–पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण–पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 ''राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. **प्रवेश की पात्रता :–**

5.1 **निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :–**

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधा पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रत होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चा ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 **स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :–**

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रत होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश न दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों व केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य संका के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथ बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 **स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–**

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रम एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय ले बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस–सी/एम.ए.–प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्र की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व–भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरो के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर ***प्रथम वर्ष उत्तीर्ण*** आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि संकाय नियमित प्रवेश :–**

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :–**

(क) ''विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, **अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी।** तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनूसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।''

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. **समकक्ष परीक्षा :–**

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सीसी/ एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/ समस्तरीय प्रमाण–पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।"

7. **बाह्य आवेदकों का प्रवेश :–**

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.–सी./बी.एच.एस–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–

प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. **अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :–**

8.1 ***स्नातक स्तर*** *की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।*

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 ***विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष*** में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9 **प्रवेश हेतु अर्हताएं :–**

9.1 **किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में** आगामी वर्ष/वर्षो में **पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।** यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र तथा शपथ–पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र–छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु–सीमा :–

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा **27 वर्ष** मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एवं एम.पी.एड. के लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. **प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :–**

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :–

स्नातक / स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

स्नातक / स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

2 आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

21 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम मे पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियन के

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के **पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन** के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें ।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू–कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13 **अधिभार :–**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण–पत्र प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण–पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग)	''सी'' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर — 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / क्विज / रूपांकन प्रतियोगिताएं :–

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :–

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	15 प्रतिशत

करने वाले को

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 **विशेष प्रोत्साहन :–**

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :–

(1) इस प्रकार के प्रमाण–पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण–पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 **संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :–**

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम

ने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

शोध छात्र :–

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच–डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति मे शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। **संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।**

16 **विशेष :–**

16.1 जाली प्रमाण–पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1722/213/आउशि/सम./2021 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26/07/20

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त विश्वविद्यालय (छ.ग.)
2. **प्राचार्य,**
   समस्त शासकीय महाविद्यालय (छ.ग.)

विषय :– शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक ।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–83/2018/38–2 दिनांक 19.07.2021

–––00–––

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

26.7.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक/1723/213/आउशि/ सम/2021 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/7/20

प्रतिलिपि :–

अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।

26.7.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

No.: L-201 22 2043
AD (K) /JD/ /DD
Section समन्वय 8
Date 22 JUL 2021 C.H.E.

क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 19/7/21

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव क्रमांक 1595 / 213 / आउशि / सम. / 2021 दिनांक 25.06.2021

.....00.......

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में आगामी शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– यथोपरि।

19/7/21
(गौरीशंकर शर्मा)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

26/7/2021

क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

शैक्षणिक सत्र 2021–22 का अकादमिक कैलेण्डर

(कोविड–19 महामारी के कारण केवल इसी सत्र हेतु)

क्र.		विवरण	तिथियाँ	
1		**प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)**		
	(क)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	02.08.2021 से 31.08.2021	
	(ख)	अन्य कक्षाओं हेतु	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर	
	(ग)	प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से सम्पन्न कराए जाये।		
2		कुलपति की अनुमति से प्रवेश की अंतिम तिथि	15.09.2021	
3		नियमित कक्षायें प्रारंभ	02.08.2021 (नवीनीकरण विद्यार्थियों हेतु) 01.09.2021 (नवीन विद्यार्थियों हेतु)	
4		वार्षिक परीक्षा परिणामों की घोषणा	परीक्षा पूर्णता के 15 दिन के अन्दर	
5		पुनर्मूल्यांकन के सभी परिणामों की घोषणा	30.09.2021	ऑफलाइन परीक्षाओं के लिये लागू
6		पूरक परीक्षा का आयोजन	(न्यूनतम समय में)	
7		पूरक परीक्षा के परिणामों की घोषणा	30.10.2021	
8		**छात्रसंघ गतिविधियाँ**		
	(क)	छात्रसंघ गठन चुनाव प्रक्रिया एवं शपथ ग्रहण	21.09.2021 से 30.09.2021 (विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।)	
9		**खेलकूद एवं सांस्कृतिक, गतिविधियॉं :–**		
	(क)	खेलकूद प्रतिस्पर्धा प्रांरम्भ (इंडोर आउटडोर)	विषम परिस्थितियों में शासन के निर्देश मान्य होंगे।	
	(ख)	खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं का समापन (इंडोर आउटडोर)		
	(ग)	महाविद्यालय स्तर पर खेलकूद (इंडोर आउटडोर) का वार्षिक आयोजन एवं पुरस्कार वितरण		
10		**एन सी.सी. /एन.एस.एस. एवं अन्य गतिविधियॉं :–**		
	(क)	वृक्षारोपण कार्यक्रम	जुलाई 2021 का द्वितीय सप्ताह	
	(ख)	महाविद्यालय स्तर पर वार्षिकोत्सव का आयोजन	21, 22 एवं 23 दिसम्बर 2021 में से कोई एक दिन	
	(ग)	एनसीसी /एनएसएस कैम्प का आयोजन	25.10.2021 से 31.12.2021 के मध्य	
	(घ.)	दीक्षान्त समारोह	फरवरी 2021	

22.6.21 22.6.21 22/6/21

विवरण			तिथियाँ
	अवकाश		
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	14.10.2021 से 16.10.2021 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (4 दिन)	03.11.2021 से 06.11.2021 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	23.12.2021 से 25.12.2021 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन)	16.06.2022 से 30.06..2022 तक
12	आंतरिक परीक्षाओं का कार्यक्रम		
	1	प्रथम यूनिट परीक्षा	05.10.2021
	2	द्वितीय यूनिट परीक्षा	03.11.2021
	3	प्रथम सत्र परीक्षा	01 से 03 दिसम्बर 2021
	4	तृतीय यूनिट परीक्षा	05.01.2022
	5	द्वितीय सत्र परीक्षा	20 से 22 जनवरी 2022
	6	चतुर्थ यूनिट परीक्षा	08.02.2022
	7	प्री– फाइनल परीक्षा	22, 23 एवं 24 फरवरी 2022
13	वार्षिक परीक्षा कार्यक्रम		
	1	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन	26.03.2022 से 09.04.2022
	2	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	16.04.2022 से 15.06.2022

नोटः– अपरिहार्य कारणवश शैक्षणिक कार्य दिवस निर्धारित मानक 180 दिवसों से कम होने की स्थिति में समस्त महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर शैक्षणिक कालखण्डों की अवधि में वृद्धि कर शैक्षणिक दिवसों की पूर्ति की जाए ताकि अकादमिक कलेण्डर का पालन सुनिश्चित हो।

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता :–

1. प्रत्येक विषय में ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल 7 आंतरिक परीक्षाओं कक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक है।
3. एन.सी.सी./एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जावेगा।
4. ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की प्रथम गणना 30 नवम्बर तक की जावेगी।
5. कम उपस्थिति वाले छात्रों को तथा उनके पालको को सूचना दी जावेगी।
6. ऑनलाइन/ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थिति की द्वितीय गणना 28 फरवरी तक की जावेगी।

(सेमेस्टर कक्षाओं के लिए)

अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातकोत्तर (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
कक्षाएँ प्रारंभ	1 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार)	05 फरवरी, 2022 (शनिवार)
शैक्षणिक कार्य	1 अक्टूबर, 2021 से 15 जनवरी, 2022	07 फरवरी, 2022 से 05 मई 2022
प्रायोगिक परीक्षाएँ	जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह	मई 2022 के द्वितीय सप्ताह
परीक्षा पूर्व तैयारी	10 जनवरी, 2022 से 15 जनवरी, 2022	10 मई, 2022 से 16 मई, 2022
सेमेस्टर परीक्षा	17 जनवरी, 2022 से 05 फरवरी 2022 तक	16 मई, 2022 से 10 जून 2022
परीक्षा परिणाम	मार्च, 2022 के प्रथम सप्ताह तक	जुलाई, 2022 के द्वितीय सप्ताह तक

शिक्षक के कर्तव्य एवं निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए – प्रातः 07:30 से 02:30 अपरान्ह
2. द्वितीय कालीन पाली के लिए – प्रातः 10:30 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण –

   6 घण्टे अध्ययन–अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. समस्त प्रकार की बैठक/स्टॉफ कौंसिल की बैठक दोपहर 03:00 बजे के पश्चात् आयोजित की जावे।
5. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन से संबंधित कार्य का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।

22.6.21 22/6/21

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को वांछित जानकारियाँ प्रदान करेंगें।

7. कोविड–19 के प्रभाव के कारण विलंब से सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्यापन हेतु महाविद्यालय स्तर पर कालखण्ड में यथोचित समय वृद्धि की जाये।

8. अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सुधार करते हुए महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी मानक का विस्तार किया जाये। विद्यार्थियों को ई–लर्निंग पद्धति से अवगत कराया जाये एवं शासन के ई–लर्निंग पोर्टल का उपयोग अध्यापन हेतु किया जाये।

9. गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, वेबेक्स मिटिंग, यू–ट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयंम प्लेटफार्म एवं स्वयम प्रभा जैसे ऑनलाईन माध्यम की सहायता से अध्ययन–अध्यापन किया जाए।

10. अधिकतम 40 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाईन माध्यम से तथा अधिकतम 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम परम्परागत तरीके /ऑफलाइन से पूर्ण कराया जाए।

–––000–––

22.6.21 22/06/21 22.6.21 22/6/21

26.7.2021

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
--00--

क्रमांक / 861 / 150 / आउशि / सम / 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 / 11 / 2020

प्रति,

1. **कुलसचिव,**
समस्त विश्वविद्यालय छ.ग.।
2. **प्राचार्य,**
समस्त शासकीय महाविद्यालय छ.ग.।

विषय :- अकादमिक कैलेण्डर 2020-21 का प्रेषण बाबत् ।

संदर्भ :- अवर सचवि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-83 / 2018 / 38-2 दिनांक 11.11.2020

----00----

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग.उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 का अकादमिक कैलेण्डर जारी किया गया है, जो मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अकादमिक कैलेण्डर का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. एच. एस. कर)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 862 / 150 / आउशि / सम / 2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :-

अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. को सूचनार्थ ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर
Email-higher-education@cg.gov.in

क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, 10/11/2020

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2020–21 हेतु अकादमिक कैलेण्डर विषयक।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव क्रमांक 697 / 150 / आउशि / सम. / 2020 दिनांक 21.09. 2020

.....00.......

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव के संबंध में आगामी शैक्षणिक सत्र 2020–21 का अकादमिक कैलेण्डर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– यथोपरि।

(रविन्द्र कुमार मेढेकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 17–83 / 2018 / 38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर,

प्रति,

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

शैक्षणिक सत्र 2020–21 का अकादमिक कैलेण्डर
(कोविड–19 संक्रमण के कारण केवल इसी सत्र हेतु)

क्र.		विवरण	तिथियाँ
1		**प्रवेश प्रक्रिया (प्राचार्य का अधिकार)**	
	(अ)	स्नातक प्रथम वर्ष हेतु	01.08.2020 से 31.08.2020
	(ब)	अन्य कक्षाओं हेतु	परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर
	(स)	कुलपति की अनुमति से प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि	15.09.2020
2		शिक्षण कार्य प्रारंभ	प्रथम वर्ष हेतु 01 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2020 से द्वितीय एव तृतीय वर्ष की कक्षाए परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिवस बाद से
3		**छात्रसंघ /सांस्कृतिक, साहित्यिक/खेलकूद एवं अन्य महाविद्यालयीन गतिविधियाँ**	
	(अ)	छात्रसंघ गठन	इस वर्ष की विषम परिस्थियों के कारण गतिविधियों के आयोजन शासन के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अधीन रहेंगें।
	(ब)	विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन / जिला / संभाग/राज्य स्तरीय स्पर्धाएँ/ खेलकूद /एन.सी.सी./एन.एस.एस./ युवा उत्सव/ दीक्षान्त समारोह एवं अन्य गतिविधियाँ	
4		**आंतरिक मूल्यांकन/ वार्षिक परीक्षाएँ**	
	(अ)	पूरक परीक्षा का आयोजन	मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात बिना बिलंब।
		पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा	परीक्षा पूर्णता के 15 दिवस के भीतर संपन्न हो।
	(ब)	तिमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	दिसंबर 2020 प्रथम सप्ताह
	(स)	छैमाही परीक्षा आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी 2021 प्रथम सप्ताह
	(द)	वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन	15 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक
	(इ)	वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन	10 अप्रैल 2021 से 30 मई 2021 तक
	(ग)	अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि	15 जून 2021
5		**अवकाश**	
	(अ)	दशहरा अवकाश (3 दिन)	24.10.2020 से 26.10.2020 तक
	(ब)	दीपावली अवकाश (4 दिन)	12.11.2020 से 15.11.2020 तक
	(स)	शीतकालीन अवकाश (3 दिन)	24.12.2020 से 26.12.2020 तक
	(द)	ग्रीष्मकालीन अवकाश (15 दिन)	16.06.2021 से 30.06.2021 तक

* यह कलेण्डर शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के अधीन रहेगा।

नोटः– (1) सत्र 2020–21 के अंतर्गत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया तथा परिस्थितियों एवं निर्देशों के अनुसार ऑनलाईन शैक्षणिक कार्य आदि के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेगें।

Sd/-

सेमेस्टर कक्षाओं के लिए
अकादमिक कैलेण्डर सत्र 2020—21

क्रमांक 6

अकादमिक कार्य का विवरण	I / III / V / VII / IX	II / IV / VI / VIII / X
कक्षाएँ प्रारंभ	1 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2020	22 फरवरी 2021
शैक्षणिक कार्य	1 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक	22 फरवरी 2021 से 17 मई 2021 तक
प्रायोगिक परीक्षाएँ	जनवरी 2021 तृतीय सप्ताह	मई 2021 के चतुर्थ सप्ताह
परीक्षा पूर्व तैयारी	16 जनवरी 2021 से 22 जनवरी 2021 तक	18 मई 2021 से 24 मई 2021 तक
सेमेस्टर परीक्षा	01 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक	25 मई 2021 से 15 जून 2021 तक
परीक्षा परिणाम	मार्च 2021 प्रथम सप्ताह	जुलाई 2021 द्वितीय सप्ताह

क्रमांक 7

विशिष्ट निर्देश

प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में 07 घण्टे रूकना आवश्यक होगा।

1. प्रातः कालीन पाली के लिए — प्रातः 07:30 से 03:00 अपरान्ह
2. द्वितीय पाली के लिए — प्रातः 10:00 से 05:30 संध्या
3. 07 घण्टे का कार्य विवरण —

   6 घण्टे अध्ययन—अध्यापन कार्य
   (प्रायोगिक, ट्यूटोरियल, रेमेडियल, शोधकार्य, लाईब्रेरी वर्क शामिल है।)

   1 घण्टा अन्य कार्य (खेलकूद, रिक्रियेशन, प्राचार्य द्वारा प्रदत्त कार्य, विद्यार्थियों का शंका समाधान, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्य)

4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में हेल्प डेस्क का गठन कर विद्यार्थियों को जानकारी एवं सहायता करें।

5. कोविड–19 के प्रभाव के कारण विलंब से सत्र प्रारंभ हो रहा है। अतः पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अध्ययन–अध्यापन हेतु अतिरिक्त आधे घण्टे के समय में वृद्धि की जावे।
6. अध्ययन–अध्यापन की पद्धति में सुधार करते हुए महाविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी मानक का विस्तार किया जाये। विद्यार्थियों को ई–लर्निंग पद्धति से अवगत कराया जाये एवं शासन के ई–लर्निंग पोर्टल का उपयोग अध्यापन हेतु किया जाये।
7. गूगल क्लासरूम, गूगल हैंगआउट, सिसको, गूगल मीट, जियो मीट, वेबेक्स मिटिंग, यू–ट्यूब स्ट्रीमिंग, स्वयंम प्लेटफार्म एवं स्वयम प्रभा जैसे ऑनलाईन माध्यम की सहायता से अध्ययन–अध्यापन किया जाए।
8. भविष्य में विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्राध्यापकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देकर ऑनलाईन अध्ययन–अध्यापन माध्यमों से परिचित करवाया जाये।
9. लगभग 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाईन माध्यम से तथा 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम परम्परागत तरीके से पूर्ण कराया जाए।

——00——

प्रपत्र क्रमांक –01 2016–17

COLLEGE NAME – GOVT. RANI AVANTIBAI LODHI COLLEGE, GHUMKA DIST. RAJNANDGAON (C.G.)

CLASS NAME-

PRINCIPAL NAME - DR. B.K. DEWANGAN PHONE NO. 07744288915 MOB. NO. 9424126588

MAIL ID – govt.collegeghumka@gmail.com

CLASS NAME	GEN				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.A. - I	02	02	-	04	08	20	-	28	03	04	-	07	48	73	-	121	-	-	-	00	61	99	-	160
B.A. - II	-	01	-	01	10	15	-	25	05	03	-	08	44	62	-	106	-	-	-	00	59	81	-	140
B.A. - III	-	-	-	00	04	02	-	06	-	01	-	01	16	33	-	49	-	-	-	00	20	36	-	56
B.COM. -I	-	-	-	00	-	-	-	00	-	02	-	02	11	12	-	23	-	-	-	00	11	14	-	25
B.COM. -II	-	02	-	02	01	02	-	03	-	-	-	00	14	08	-	22	-	-	-	00	15	12	-	27
B.COM. -III	-	-	-	00	-	-	-	00	-	-	-	00	03	02	-	05	01	-	-	01	04	02	-	06
B.Sc. (Bio)-I	03	01	-	04	05	04	-	09	01	-	-	01	22	24	-	46	-	-	-	00	31	29	-	60
B.Sc.(Maths)-I	01	01	-	02	-	-	-	00	-	-	-	00	12	05	-	17	-	-	-	00	13	06	-	19
B.Sc. (Bio)-II	-	01	-	01	-	03	-	03	-	01	-	01	12	21	-	33	-	01	-	01	12	27	-	39
B.Sc.(Maths)-II	01	-	-	01	-	-	-	00	-	-	-	00	01	-	-	01	-	-	-	00	02	-	-	02
M.A. HINDI 1ST Semester	-	-	-	00	01	02	-	03	-	-	-	00	08	17	-	25	-	-	-	00	09	19	-	28
M.A. HINDI 3rd Semester	02	-	-	02	00	05	-	05	-	-	-	00	09	14	-	23	01	-	-	01	12	19	-	31
TOTAL	09	08		17	29	53		82	09	11		20	200	271		471	02	01		03	249	344		593

टीप :– पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर द्वारा एम.ए. हिंदी द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम दिनांक 13.08.2016 को घोषित होने के पश्चात् एम.ए. हिंदी तृतीय सेमेस्टर में प्रवेशित विद्यार्थी की संख्यात्मक जानकारी

प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं सील
शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

सत्र 2017-18

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) 2017-19

COLLEGE NAME – GOVT. RANI AVANTIBAI LODHI COLLEGE, GHUMKA DIST. RAJNANDGAON (C.G.)

CLASS NAME-

PRINCIPAL NAME - DR. I.R. SONWANI PHONE NO. 07744288915 MOB. NO. 9755818595

MAIL ID – govt.collegeghumka@gmail.com

Format-1

CLASS NAME	GEN				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.A. - I	06	02	-	08	14	22	-	36	03	02	-	05	50	61	-	111	-	-	-	00	73	87	-	160
B.A. - II	03	01	-	04	19	08	-	27	01	04	-	05	25	68	-	93	-	-	-	00	48	81	-	129
B.A. - III	-	-	-	00	08	12	-	20	05	03	-	08	34	57	-	91	-	-	-	00	47	72	-	119
B.COM. -I	-	-	-	00	02	-	-	02	.	-	-	00	16	14	-	30	-	-	-	00	18	14	-	32
B.COM. -II	-	-	-	00	-	01	-	01	00	-	-	00	13	13	-	26	-	-	-	00	13	14	-	27
B.COM. -III	-	01	-	01	-	01	-	01	-	-	-	00	11	08	-	19	-	-	-	00	11	10	-	21
B.Sc. -I (Bio)	-	01	-	01	-	06	-	06	-	03	-	03	22	28	-	50	-	-	-	00	22	38	-	60
B.Sc. -I (maths)	-	-	-	00	01	-	-	01	01	-	-	01	14	02	-	16	-	-	-	00	16	02		18
B.Sc. -II (Bio)	01	01	-	02	01	03	-	04	-	-	-	00	12	26	-	38	-	-	-	00	14	30	-	44
B.Sc. -II (maths)	01	01	-	02	-	-	-	00	-	-	-	00	02	-	-	02	-	-	-	00	03	01	-	04
B.Sc. -III (Bio)	-	01	-	01	-	01	-	01	-	01	-	01	05	15	-	20	-	01	-	01	05	19	-	24
B.Sc. -III (maths)	01	-		01	-	-	-	00	-	-	-	00	02	-	-	02	-	-	-	00	02	01	-	03
M.A. HINDI 1ST Semester	01	01	-	02	03	-	-	03	-	-	-	00	04	08	-	12	-	-	-	00	08	09	-	17
M.A. HINDI 3rd Semester	-	-	-	00	01	01	-	02	-	-	-	00	04	18	-	22	-	-	-	00	05	19	-	24
TOTAL	13	09		22	49	55		104	10	13		23	214	318		532	00	01		01	285	397		682

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)

प्राचार्य

शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका

घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (C.G.)

COLLEGE NAME	GOVT. RANI AVANTI BAI LODHI COLLEGE, GHUMKA
FULL ADDRESS	AT & POST- GHUMKA DIST. RAJNANDGAON (C.G.) PIN 491444
PRINCIPAL NAME	DR. I. R. SONWANI
PRINCIPAL OFFICE NO.	07744-288915 — MOBILE NO. 9755818595
OTHER OFFICE NO.	

2018-19

DETAIL'S OF TOTAL ADMISSION

CLASS	TOTAL SEAT	MALE						FEMALE						GRAND TOTAL
		ST	SC	OBC	GEN.	MINORITY	TOTAL	ST	SC	OBC	GEN.	MINORITY	TOTAL	
B.A. PART-I	160	04	09	54	-	-	67	10	11	76	-	-	97	164
B.A. PART-II	160	02	10	38	01	-	51	03	23	73	01	-	100	151
B.A. PART-III	160	-	08	46	-	-	54	01	18	75	02	-	96	150
B.COM. PART-I	80	01	-	15	-	-	16	02	02	12	-	-	16	32
B.COM. PART-II	80	-	-	10	-	-	10	-	01	16	-	-	17	27
B.COM. PART-III	80	-	-	03	-	-	03	-	-	09	-	-	9	12
B.SC. (BIO) PART-I	60	02	05	21	-	-	28	03	04	31	02	-	40	68
B.SC. (MATHS) PART-I	60	01	01	15	-	-	17	-	-	04	-	-	4	21
B.SC. (BIO) PART-II	60	-	02	15	-	-	17	01	05	39	01	-	46	63
B.SC. (MATHS) PART-II	60	-	01	07	-	-	08	-	-	04	-	-	4	12
B.SC. (BIO) PART-III	60	-	-	20	01	-	21	-	06	09	01	00	16	37
B.SC. (MATHS) PART-III	60	-	-	03	-	-	03	-	-	01	-	-	1	04
M.A. HINDI 1ST SEM.	40	-	01	03	-	-	04	-	04	20	-	-	24	28
M.A. HINDI 3RD SEM.	40	-	02	04	01	-	07	-	-	07	-	-	07	14
TOTAL →	1160	10	39	254	03	00	306	20	74	376	07	00	477	783

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)
प्राचार्य
शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG, (C.G.)

2019-20

COLLEGE NAME - GOVT. RANI AVANTI BAI LODHI COLLEGE, GHUMKA, DISTT. RAJNANDGAON

PRINCIPAL NAME - DR. I. R. SONWANI PHONE NO. 07744-288915 MOBILE NO. 9755818595

E-MAIL ID- govt.collegeghumka@gmail.com

Name of Class	GEN				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.A. - I	2	3	0	5	6	17	0	23	0	5	0	5	47	98	0	145	0	2	0	2	55	125	0	180
B.A. - II	3	0	0	3	5	11	0	16	2	5	0	7	53	76	0	129	0	0	0	0	63	92	0	155
B.A. - III	1	1	0	2	5	21	0	26	2	2	0	4	39	74	0	113	0	0	0	0	47	98	0	145
B.Com. -I	2	0	0	2	4	1	0	5	0	1	0	1	25	13	0	38	0	0	0	0	31	15	0	46
B.Com. -II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7	12	0	19	0	0	0	0	7	14	0	21
B.Com. -III	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	10	15	0	25	0	0	0	0	11	17	0	28
B.Sc.-I (Bio)	1	1	0	2	6	4	0	10	2	0	0	2	25	41	0	66	0	0	0	0	34	46	0	80
B.Sc.-I (Maths)	0	0	0	0	3	1	0	4	0	0	0	0	10	5	0	15	0	0	0	0	13	6	0	19
B.Sc.-II (Bio)	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	2	10	30	0	40	0	0	0	0	10	35	0	45
B.Sc.-II (Maths)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	3	0	0	0	0	3	1	0	4
B.Sc.-III (Bio)	0	1	0	1	2	3	0	5	0	2	0	2	17	38	0	55	0	0	0	0	19	44	0	63
B.Sc.-III (Maths)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	8	0	0	0	0	4	4	0	8
M.A. HINDI 1ST Sem.	1	2	0	3	0	2	0	2	0	0	0	0	11	23	0	34	0	0	0	0	12	27	0	39
M.A. HINDI 3rd Sem.	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	15	0	17	0	0	0	0	3	15	0	18
Total	10	10	0	20	32	63	0	95	8	19	0	27	262	445	0	707	0	2	0	2	312	539	0	851

PRINCIPAL
GOVT. RANI AVANTI BAI LODHI COLLEGE,
GHUMKA DISTT. (RAJNANDGAON)

प्राचार्य
शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय
घुमका जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG, (C.G.)

COLLEGE NAME - GOVT. RANI AVANTI BAI LODHI COLLEGE, GHUMKA, DISTT. RAJNANDGAON YEAR - 2020-21

PRINCIPAL NAME - DR. I. R. SONWANI PHONE NO. 07744-288915 MOBILE NO. 9755818595

E-MAIL ID- govt.collegeghumka@gmail.com

Name of Class	GEN				SC				ST				OBC				MINORITY				TOTAL			
	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total	Male	Female	Third Gender	Total
B.A. - I	4	8	0	12	30	21	0	51	2	3	0	5	53	63	0	116	0	0	0	0	89	95	0	184
B.A. - II	1	1	0	2	5	16	0	21	0	3	0	3	53	101	0	154	0	0	0	0	59	121	0	180
B.A. - III	2	1	0	3	6	12	0	18	2	4	0	6	56	76	0	132	0	0	0	0	66	93	0	159
B.Com. -I	10	4	0	14	5	0	0	5	0	1	0	1	21	22	0	43	0	0	0	0	36	27	0	63
B.Com. -II	2	0	0	2	5	1	0	6	0	1	0	1	27	12	0	39	0	0	0	0	34	14	0	48
B.Com. -III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	5	15	0	20	0	0	0	0	5	17	0	22
B.Sc.-I (Bio)	0	1	0	1	4	8	0	12	2	0	0	2	25	43	0	68	0	0	0	0	31	52	0	83
B.Sc.-I (Maths)	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	19	9	0	28	0	0	0	0	20	10	0	30
B.Sc.-II (Bio)	0	0	0	0	6	3	0	9	3	0	0	3	25	42	0	67	0	0	0	0	34	45	0	79
B.Sc.-II (Maths)	0	0	0	0	5	1	0	6	0	0	0	0	12	6	0	18	0	0	0	0	17	7	0	24
B.Sc.-III (Bio)	0	2	0	2	3	2	0	5	0	0	0	0	12	29	0	41	0	0	0	0	15	33	0	48
B.Sc.-III (Maths)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	6	2	0	8
M.A. HINDI 1ST Sem.	1	2	0	3	1	4	0	5	0	1	0	1	4	15	0	19	0	0	0	0	6	22	0	28
M.A. HINDI 3rd Sem.	0	2	0	2	1	3	0	4	0	0	0	0	8	21	0	29	0	0	0	0	9	26	0	35
Total	20	21	0	41	73	72	0	145	9	15	0	24	325	456	0	781	0	0	0	0	427	564	0	991

PRINCIPAL
GOVT. RANI AVANTI BAI LODHI COLLEGE,
GHUMKA DISTT. RAJNANDGAON (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

ऑफलाईन एवं ऑनलाईन क्लॉस समय सारणी

कला संकाय (दिनांक 15.02.2021 से प्रभावशील)

सत्र 2020–21

कक्षा	10.30 से11.10	11.10 से 11.50	11.50 से 12.30	12.30 से 01.10	01.10 से 01.50	01.50 से 02.30	02.30 से 03.10	03.10 से 03.50	03.50 से 04.30	04.30 से 05.10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी. ए. – प्रथम	हिन्दी साहित्य (अपर हॉल)	राजनीतिशास्त्र (अपर हॉल)	अंग्रेजी भाषा (अपर हॉल) (सो.म.बु.)	इतिहास (अपर हॉल)	अर्थशास्त्र (अपर हॉल)	समाजशास्त्र (अपर हॉल)	हिन्दी भाषा (अपर हॉल) सो.म. अंग्रेजी भाषा (अपर हॉल) गु.शु.श.	पर्यावरण	कम्प्यूटर – (M) हिंदी साहित्य T– (T) समाजशास्त्र T – (w) राजनीतिशास्त्र T–(Th) अर्थशास्त्र T– (f) इतिहास T– (s)	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
बी. ए. – द्वितीय	इतिहास कक्ष क्र.–06	समाजशास्त्र कक्ष क्र.–06	राजनीतिशास्त्र कक्ष क्र.–06	हिन्दी साहित्य कक्ष क्र.–06	अंग्रेजी भाषा (सो.म.बु.) कक्ष क्र.–06	अर्थशास्त्र कक्ष क्र.–06	हिंदी भाषा (सो.म.) कक्ष क्र.–06 अंग्रेजी भाषा (गु.शु.श.)	कम्प्यूटर – (M) हिंदी साहित्य T– (T) समाजशास्त्र T – (w) राजनीतिशास्त्र T–(Th) अर्थशास्त्र T– (f) इतिहास T– (s)	सांस्कृतिक कार्यक्रम	खेलकूद
बी. ए. – तृतीय	अर्थशास्त्र कक्ष क्र.–01	इतिहास कक्ष क्र.–01	हिन्दी साहित्य कक्ष क्र.–01	राजनीतिशास्त्र कक्ष क्र.–01	समाजशास्त्र कक्ष क्र.–01	अंग्रेजी भाषा (गु.शु.श.) कक्ष क्र.–01	कम्प्यूटर – (M) हिंदी साहित्य T– (T) समाजशास्त्र T – (w) राजनीतिशास्त्र T–(Th) अर्थशास्त्र T– (f) इतिहास T– (s)	हिन्दी भाषा कक्ष क्र.–01 (सो.म.)	सांस्कृतिक कार्यक्रम	खेलकूद

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

ऑफलाईन एवं ऑनलाईन क्लॉस समय सारणी
वाणिज्य संकाय (दिनांक 15.02.2021 से प्रभावशील)
सत्र 2020–21

कक्ष	10.30 से11.10	11.10 से 11.50	11.50 से 12.30	12.30 से 01.10	01.10 से 01.50	01.50 से 02.30	02.30 से 03.10	03.10 से 03.50	03.50 से 04.30	04.30 से 05.10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी.कॉम प्रथम	बिजनेस मैथमेटिक्स कक्ष क्र.–05	अंग्रेजी भाषा कक्ष क्र.–05	फायनेनशियल एकाउण्टिंग कक्ष क्र.–05	पर्यावरण अध्ययन कक्ष क्र.–05 (सो.मं.बु.)	बिजनेस रेग्यू. फेमवर्क कक्ष क्र.–05	बिजनेस कम्प्यूनिकेशन / इनवायरमेंट कक्ष क्र.–05	हिंदी भाषा कक्ष क्र.–05 (बु.गु.)	व्या. अर्थशास्त्र कक्ष क्र.–05	कम्प्यूटर – T ग्रुप –1 T - W ग्रुप –2 T - Th ग्रुप –3 T - F	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
बी.कॉम द्वितीय	कम्प्यूटर – T ग्रुप –1 T - W	बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कक्ष क्र.–04	अंग्रेजी भाषा (गु. शु. श.) कक्ष क्र.–04	कॉस्ट एकाउण्टिंग कक्ष क्र.–04	कार्पोरेट एकाउण्टिंग कक्ष क्र.–04	ग्रुप –2 T - Th ग्रुप –3 T - F	कंपनी लॉ (सो.म.बु.) कक्ष क्र.–04 थियोरी ऑफ मैनेंजमेंट (गु.शु.श.)	हिंदी भाषा (बु.गु.) कक्ष क्र.–04	अंग्रेजी भाषा (सो.म. बु.) कक्ष क्र.–04	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
बी.कॉम तृतीय	वैकल्पिक समूह क्रक्ष क्र.–10	मैनेजमेंट एकाउण्टिंग क्रक्ष क्र.–10	अंग्रेजी भाषा क्रक्ष क्र.–10	इनकम टैक्स क्रक्ष क्र.–10	ऑडिटिंग क्रक्ष क्र.–10 (गु.शु.श)	इनडायरेक्ट टैक्स क्रक्ष क्र.–10	कम्प्यूटर – T ग्रुप –1 T - W ग्रुप –2 T - Th ग्रुप –3 T - F	हिंदी भाषा (बु.गु.) क्रक्ष क्र.–10	सांस्कृतिक कार्यक्रम	खेलकूद

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

D:\Admission File\Time teble.docx

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

ऑफलाईन एवं ऑनलाईन क्लॉस समय सारणी
विज्ञान संकाय (दिनांक 15.02.2021 से प्रभावशील)
सत्र 2020–21

कक्षा	10.30 से11.10	11.10 से 11.50	11.50 से 12.30	12.30 से 01.10	01.10 से 01.50	01.50 से 02.30	02.30 से 03.10	03.10 से 03.50	03.50 से 04.30	04.30 से 05.10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बी.एस.सी – प्रथम	प्राणीशास्त्र कक्ष क्र.–2	गणित कक्ष क्र.–2	रसायनशास्त्र कक्ष क्र.–2	वनस्पतिशास्त्र कक्ष क्र.–2	भौतिकशास्त्र कक्ष क्र.–2	अग्रेजी भाषा	हिंदी भाषा कक्ष क्र.–2 (शु.श)	पर्यावरण (गु.शु.श.)	प्रायोगिक (सो.म.बु.गु) खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	कम्प्यूटर – W रसायन – T - M गणित T - T प्राणीशास्त्र T - T वनस्पतिशास्त्र T – Th भौतिकशास्त्र T - F
बी.एस.सी – द्वितीय	वनस्पतिशास्त्र कक्ष क्र.–03	भौतिकशास्त्र कक्ष क्र.–03	प्राणीशास्त्र कक्ष क्र.–03	रसायनशास्त्र कक्ष क्र.–3	अंगेजी भाषा कक्ष क्र.–3	गणित कक्ष क्र.–03	हिंदी भाषा कक्ष क्र.–03 (शु.श.)	कम्प्यूटर – W रसायन – T - M गणित T - T प्राणीशास्त्र T - T वनस्पतिशास्त्र T – Th भौतिकशास्त्र T - F	प्रायोगिक	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
बी.एस.सी – तृतीय	प्रायोगिक	रसायन शास्त्र कक्ष क्र.–07	भौतिकशास्त्र कक्ष क्र.–07	प्राणीशास्त्र कक्ष क्र.–07	अंगेजी भाषा (गु.शु.श) कक्ष क्र.–7	वनस्पतिशास्त्र कक्ष क्र.–07	गणित कक्ष क्र.–07	हिंदी भाषा कक्ष क्र.–07 (शु.श.)	कम्प्यूटर – W रसायन – T - M गणित T - T प्राणीशास्त्र T - T वनस्पतिशास्त्र T – Th भौतिकशास्त्र T - F	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका जिला–राजनांदगाँव (छग.)

ऑफलाईन एवं ऑनलाईन क्लास समय–सारिणी

सत्र 2020–2021 (दिनांक 15.02.2021 से प्रभावशील)

एम. ए. हिन्दी प्रथम/तृतीय सेमेस्टर

कक्षा	11.10 से 11.50	11.50 से 12.30	12.30 से 01.10	01.10 से 01.50	01.50 से 02.30 तक
	1	2	3	4	5
एम.ए. हिन्दी प्रथम सेमेस्टर	प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य (द्वितीय) (कु. मनीषा वर्मा)	छायावाद एवं पूर्ववर्ती काव्य (तृतीय) (कु. मनीषा वर्मा)	आदिकाल एवं पूर्व मध्यकाल (प्रथम) (श्री विनोद वर्मा)	नाटक, एकांकी एवं चरितात्मक कृति (चतुर्थ) (डॉ.के.डी.देशलहरा)	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
एम.ए. हिन्दी द्वितीय सेमेस्टर	मध्यकालीन काव्य (षष्टम) (कु. मनीषा वर्मा)	प्रयोगवादी एवं प्रगतिवादी काव्य (सप्तम) (कु. मनीषा वर्मा)	उत्तर मध्यकाल एवं आधुनिक काल (पंचम) (श्री विनोद वर्मा)	उपन्यास, निबंध एवं कहानी (अष्टम) (डॉ.के.डी.देशलहरा)	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

एम. ए. हिन्दी तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर

कक्षा	11.10 से 11.50	11.50 से 12.30	12.30 से 01.10	01.10 से 1.50	01.50 से 02.30 तक
	1	2	3	4	5
एम.ए. हिन्दी तृतीय सेमेस्टर	भाषा विज्ञान (द्वितीय) (श्री विनोद वर्मा)	कामकाजी हिन्दी एवं पत्रकारिता (तृतीय) (श्री विनोद वर्मा)	साहित्य के सिद्धांत एवं आलोचना शास्त्र (प्रथम) (डॉ.के.डी.देशलहरा)	भारतीय साहित्य (चतुर्थ) (कु. मनीषा वर्मा)	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
एम.ए. हिन्दी चतुर्थ सेमेस्टर	हिन्दी भाषा (षष्ठ) (श्री विनोद वर्मा)	मीडिया लेखन एवं अनुवाद (सप्तम) (श्री विनोद वर्मा)	हिन्दी आलोचना तथा समीक्षा शास्त्र (पंचम) (डॉ.के.डी.देशलहरा)	जनपदीय भाषा और साहित्य (छत्तीसगढ़ी) (अष्टम) (कु. मनीषा वर्मा)	खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका,
जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

web site- www.rablcollege.ac.in Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-288915
college code - 1904

// सूचना //

दिनांक 15.03.2021

वार्षिक परीक्षा 2020–21 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन विषय में सम्मिलित होने वाले समस्त (स्नातक स्तर) अमहाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण अध्ययन प्रोजेक्ट फाईल निम्नलिखित किसी एक विषय पर दिनांक 08.04.2021 तक अनिवार्य रूप से निम्नलिखित अतिथि व्याख्याताओं के पास जमा कर देवें।

विषय :–

1. कोविड–19 का व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर प्रभाव ?
2. जनसंख्या वृद्धि के कारण व नियंत्रण के उपाय ?
3. जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के बारे में सचित्र विस्तार वर्णन किजिए ?

क्रं.	नाम	कक्षा
1	श्री रितेश बंजारे अतिथि व्याख्याता–इतिहास	बी. ए. भाग – 1, 2 एवं 3
2	श्री देवानंद बंधे अतिथि व्याख्याता–वनस्पतिशास्त्र	बी. एस–सी. भाग – 1, 2 एवं 3
3	श्री रविप्रकाश चतुर्वेदी अतिथि व्याख्याता–अंग्रेजी	बी. कॉम. भाग – 1, 2 एवं 3

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

प्राचार्य
शा. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका,
जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)
web site- www.rablcollege.ac.in Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-288915
college code - 1904

घुमका, दिनांक – 09 /11/2020

// आवश्यक सूचना //

महाविद्यालय के बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. – भाग 1, 2 एवं 3 के समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 01 नवम्बर 2020 से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारंभ हो चुका है। जिसमें सभी छात्र–छात्राए अनिवार्य रूप से समय–सारिणी के अनुसार **जूम एप** पर दिये गये लिंक से अवश्य जुड़े। वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, जिन छात्र–छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी उन्हें वार्षिक परीक्षा 2020–21 में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे।

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

प्राचार्य
शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

web site- www.rablcollege.com Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-288915

//सूचना//

दिनांक – 09/11/2020

एम. ए. हिंदी तृतीय सेमेस्टर के समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 01 नवम्बर 2020 से ऑनलाईन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। जिसमें सभी छात्र–छात्राएं अनिवार्य रूप से समय सारिणी के अनुसार जूम एप पर दिये गये लिंक पर अवश्य जुड़े वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जिन छात्र–छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी उन्हें सेमेस्टर परीक्षा से वंचित किया जा सकेंगा।

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

(डॉ. उ. डी. देवांगन)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका,
जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)

web site- www.rablcollege.com Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-296940
college code - 1904

// सूचना //

दिनांक 21.09.2019

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, के अधिसूचना क्रमांक 1545/नामांकन/2019 दुर्ग दिनांक 18.092019 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2019–20 के बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. भाग– 1 एवं बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. भाग– 2 एवं 3 की कक्षा में प्रवेशित (अमहाविद्यालयीन से नियमित) विद्यार्थियों के लिए नामांकन आवेदन फार्म ऑनलाईन पद्धति द्वारा विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.durguniversity.in में भरने एवं नामांकन शुल्क की नियत राशि रू. 150 /– जमा करने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्रमांक	नामांकन फार्म एवं शुल्क	दिनांक
1.	ऑनलाईन द्वारा शुल्क सहित आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि	20.09.2019
2.	ऑनलाईन द्वारा शुल्क सहित आवेदन करने की अंतिम तिथि	30.09.2019

टीप :– अतिआवश्यक महत्वपूर्ण निर्देश :–

1. अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से उत्तीर्ण कर प्रवेशित छात्र–छात्राओं को अप्रवासन शुल्क रू. 360 /– एवं नाम/उपनाम परिवर्तन शुल्क रू. 180 /– शुल्क अलग से जमा करना होगा।
2. हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से एक बार नियमित नामांकित हो चुका है तो उसे पुनः नामांकन आवेदन फार्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
3. नामांकन फार्म एवं शेष सभी नियम एवं शर्ते जानकारी के लिए वेबसाइट **www.durguniversity.ac.in** पर उपलब्ध है।
4. ऑनलाईन नामांकन फार्म भरकर हार्ड कापी (02 प्रति में) के साथ आवश्यक दस्तावेज :– 10 वीं, 12वीं, आधार कार्ड, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर महाविद्यालय में दिनांक 30/09/2019 तक अनिवार्यतः जमा करें।

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका,
जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)
web site- www.rablcollege.ac.in Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-296940
college code - 1904

// सूचना //

दिनांक 16/01/2021

महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, के अधिसूचना क्रमांक 1108/नामांकन/2021 दुर्ग दिनांक 14.01.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020–21 के बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. भाग– 1 एवं बी.ए./बी.कॉम./बी.एस–सी. भाग– 2 एवं 3 की कक्षा में प्रवेशित (अमहाविद्यालयीन से नियमित) विद्यार्थियों के लिए नामांकन (**Enrollment**) आवेदन फार्म ऑनलाईन पद्धति द्वारा विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.durguniversity.in में 20.01.2021 तक भर कर हार्ड कापी निम्नलिखित दस्तावेज के साथ श्री लालचंद समुन्द्रे, स्वच्छक के पास दिनांक 22.01.2021 तक महाविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करें।

1. ऑनलाईन आवेदन (हार्ड कापी) के 02 प्रति।
2. 10वीं, 12वीं एवं पिछली परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति।
3. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।

प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका,
जिला–राजनांदगाँव (छ.ग.)
web site- www.rablcollege.com Email : govt.collegeghumka@gmail.com Phone – 07744-296940

// प्रायोगिक परीक्षा 2021 की सूचना //

महाविद्यालय के समस्त नियमित/स्वाध्यायी/भूतपूर्व छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि बी. एस–सी. प्रायोगिक परीक्षा–2020–21 की ऑनलाईन समय सारिणी निम्नानुसार है

क्रं.	कक्षा	विषय	दिनांक	समय
1.	बी.एस–सी. भाग– 1	रसायनशास्त्र	21.05.2021	प्रातः 10:00 बजे
2.	बी.एस–सी. भाग– 3	रसायनशास्त्र	29.05.2021	प्रातः 10:00 बजे
3.	बी.एस–सी. भाग– 2	रसायनशास्त्र	30.05.2021	प्रातः 10:00 बजे
4.	बी.एस–सी. भाग– 1, 2, 3	प्राणीशास्त्र	24.05.2021	प्रातः 07:00 बजे
5.	बी.एस–सी. भाग– 1	वनस्पतिशास्त्र	22.05.2021	प्रातः 07:00 बजे
6.	बी.एस–सी. भाग– 2	वनस्पतिशास्त्र	25.05.2021	प्रातः 10:00 बजे
7.	बी.एस–सी. भाग– 3	वनस्पतिशास्त्र	26.05.2021	प्रातः 10:00 बजे
8	बी.एस–सी. भाग– 1, 2, 3	भौतिकशास्त्र	28.05.2021	प्रातः 10:00 बजे

विभागाध्यक्ष

(डॉ. आई. आर. सोनवानी)
प्राचार्य
शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय,
घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)